में पदस्थ विकास विभागों के समस्त वर्ग–2 के अधिकारियों एवं वर्ग–3 के कार्यपालिक कमचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन परियोजना अधिकारी के माध्यम से लिखे जाऐंगे। परियोजना अधिकारियों की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि परियोजना क्षेत्र में कार्यरत सभी विकास विभागों के द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों एवं कायपालिक कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने से पूर्व कलेक्टर्स द्वारा परियोजना अधिकारी से टीप दर्ज कराई जाए। अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिलाध्यक्ष ऐसे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों पर अपनी टीप तब तक अंकित न करें जब तक गोपनीय प्रतिवेदन पर परियोजना अधिकारी का मत अंकित न हो। निवेदन है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही करें तथा सुनिश्चित कराएं कि इस निर्णय का कड़ाई के साथ पालन हो।

(आर. एल. वार्ष्णेय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग।

EXTRACT TAKEN FROM LETTER NO. 523/MS/76. dated 21-6-76

(G) PROJECT OFFICER

He has been declared Joint-Director of Tribal Welfare Ex-officio and will thus exercise those financial/administrative powers.

He will also exercise such other powers as may be delegated to him. He will be responsible for the execution of all the programmes in the Project area. The annual confidential reports of all class II officers and class III executive staff in his area of the development departments will be routed through him.

4. Delegation of powers is being worked out and will be communicated later.

5. Government desire that necessary action may be taken at once to consitute the committees listed in the fore going paragraphs and steps be taken for implementing the tribal sub-plan with speed and vigour.

मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक सी। 5-1। 87'3। 49 भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः–विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व आवश्यक समस्त जानकारी तत्परता से उपलब्ध कराना।

संदर्भः–सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक 146/499/1 (3) 82 दिनांक 25-2-83।

उपरोक्त संदर्भांकित ज्ञापन के साथ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के दिनांक 30-5-81 के पत्र की प्रति संलग्न कर अपेक्षा की गई है कि आयोग द्वारा वांछित समस्त सही एवं पूर्ण अभिलेख/जानकारी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पहले ही भेज दी जाय जिससे कि अनावश्यक रूप से होने वाली

प्रशासकीय कठिनाईयों एवं बिलम्ब को टाला जा सके । इन्हीं निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि पदोन्नति के लिए प्रस्तावित शासकीय सेवकों के सम्बन्ध में यह भी जानकारी विभागीय पदोन्नति समिति को उपलब्ध कराई जाये कि क्या सम्बन्धित शासकीय सेवकों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही है। यदि हां, तो जांच प्रकरण किस स्टेज पर है।

2. शासन का ध्यान एक ऐसे प्रकरण की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें एक अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध सम्भावित विभागीय जांच की जानकारी, विभागीय पदोन्नति समिति को उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके कारण अपचारी शासकीय सेवकों को पदोन्नत कर दिया गया। इस प्रकरण में शासन ने उन समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया है जिन्होंने जानबूझकर सम्बन्धित शासकीय सेवक के विरुद्ध संभावित विभागीय जांच प्रकरण को विभागीय पदोन्नति समिति से छिपाया और जिसके फलस्वरूप वह जांच प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष नहीं रखा जा सका । शासन ने इस स्थिति को अत्यन्त गंभीरता से लिया है तथा सम्बद्ध शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

3. यदि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 209/2449/1 (3) 63 दिनांक 31-1-64 के निर्देशों का ध्यान रखा जाता और निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती तो:—

(अ) विभागीय जांच चलते हुए अथवा संभावित जांच के कारण अपचारी अधिकारी को पदोन्नति नहीं मिल पाती ।

(ब) विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा को सीलबन्द लिफाफे में रखने की कार्यवाही की जाती, और

(स) विभागीय जांच के निष्कर्ष के आधार पर कोई शास्ति अधिरोपित करना भी संभव हो सकता था ।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित विभागीय जांच के प्रकरणों में ही सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 31-1-64 के ज्ञापन के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सील बन्द लिफाफे में रखी जायेंगी:—

(1) जिन शासकीय सेवकों को निलम्बन में रखा गया है ।

(2) जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय जांच करने का निर्णय नस्ती में लिया जा चुका है, किन्तु आरोप-पत्र इत्यादि तामील नहीं किये गये हों (यह मामले सम्भावित विभागीय जांच की श्रेणी में आयेंगे।

(3) जिन मामलों में विभागीय जांच आरंभ हो चुकी हो अर्थात् आरोप-पत्र इत्यादि तामील हो चुके हैं ।

5. अतः समस्त संबंधितों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अपेक्षा की जाती है कि शासन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये एवं किसी स्तर पर की गई इस तरह की गंभीर त्रुटि/अनियमितता के लिये उत्तरदायी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि/अनियमितता न दुहराई जाए ।

(के. एन. श्रीवास्तव)
उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग,